रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940
No. 377]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2018

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018

फा.सं. सीसीआई/सीडी/संशो/संयो.विनि./2018.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) विनियम, 2011 में,--

(1) विनियम 2 के उपविनियम (3) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" ;

(2) विनियम 5 में,--

(क) उपविनियम (4) के परंतुक में, "अवधि को" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

", अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क)" ;

(ख) उपविनियम (6) के परंतुक में, "अवधि को" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

", अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क)" ;

(ग) उपविनियम (7) में,--

(i) खंड (ग) में, "कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (घ) में, "या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(3) विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक में, "अवधि को" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

", अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क)," ;

(4) विनियम 14 में,--

(क) उपविनियम (2क) में,--

(i) "सात दिन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"सात कार्य दिवस" ;

(ii) दूसरे परंतुक में, "अवधि को" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

", अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क)," ;

(ख) उपविनियम (5) के परंतुक में, "अवधि को" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

", अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क)," ;

(5) विनियम 16 के उपविनियम में, "सात दिन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"सात कार्य दिवस" ;

(6) विनियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"16क. सूचना को वापस लेना और उसे पुन: फाइल करना—

(1) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, आयोग संयोजन के पक्षकारों के अनुरोध पर इन विनियमों के विनियम 5 या विनियम 8 के अधीन दी गई सूचना को वापस लेने और उसे पुन: फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन सूचना वापस लिए जाने की दशा में, ऐसी सूचना के संबंध में पहले से संदत्त फीस को, संयोजन के पक्षकारों द्वारा दी गई नई सूचना के संबंध में संदेय फीस के प्रति समायोजित किया जाएगा, परंतु यह कि नई सूचना को पूरानी सूचना वापस लेने की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाता है ।" ;

(7) विनियम 19 के उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन कोई राय बनाए जाने से पूर्व, संयोजन के पक्षकार संयोजन में उपांतरण का प्रस्ताव कर सकेंगे और उस आधार पर आयोग अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित संयोजन का अनुमोदन कर सकेगा :

परंतु जहां संयोजन के पक्षकारों द्वारा उपांतरण का प्रस्ताव किया जाता है, वहां पंद्रह दिन से अनधिक के अतिरिक्त समय को, जो प्रस्तावित उपांतरण के मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, इस विनियम के उपविनियम (1), अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क) और अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) में उपबंधित अवधि से अपवर्जित किया जाएगा ।" ;

(8) विनियम 25 के उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) संयोजन के पक्षकार, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर के साथ, उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट प्रथमदृष्टया चिंताओं का समाधान करेन के लिए उपांतरण का प्रस्ताव कर सकेंगे और उस आधार पर आयोग अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित संयोजन का अनुमोदन कर सकेगा :

परंतु ऐसे किसी मामले में, प्रस्तावित उपांतरण के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पंद्रह दिन से अनधिक अतिरिक्त समय को, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2क), अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) और अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (11) में उपबंधित अवधि से अपवर्जित किया जाएगा ।" ;

(9) विनियम 27 के उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1) जहां आयोग की यह राय है कि प्रस्तावित संयोजन में उपांतरणों के क्रियान्वयन के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है तो वह ऐसे निबंधनों और शर्तों के, जो आयोग द्वारा अवधारित किए जाएं, अधीन रहे हुए ऐसे क्रियान्वयन का पर्यावलोकन करने के लिए अभिकरणों की नियुक्ति कर सकेगा ।"।

स्मिता झिंगरन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./301/18]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 11 मई, 2011 को अधिसूचना सं. फा.सं. 1-1/संयोजन/विनियम/2011-12/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए थे,--

(क) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 23 फरवरी, 2012 को फा.सं. 3-1/संशो/संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2012 ;

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 4 अप्रैल, 2013 को फा.सं. 3-1/संशो/संयो.विनि./2012/सीडी/सीसीआई द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2013 ;

(ग) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 28 मार्च, 2014 को फा.सं. सीसीआई/सीडी/संयो.विनि./2014 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 ;

(घ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 1 जुलाई, 2015 को फा.सं. सीसीआई/सीडी/संयो.विनि./2015 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2015 ; और

(ङ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, तारीख 7 जनवरी, 2016 को फा.सं. सीसीआई/सीडी/संयो.विनि./2016 द्वारा प्रकाशित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन के संबंध में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2016 ।

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2018

The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018

F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2018.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following regulations further to amend the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Regulations, 2011,—

(1) in regulation 2, in sub-regulation (3), for the words, figures and brackets " Companies Act, 1956 (1 of 1956)", the following shall be substituted, namely:-

"Companies Act, 2013 (18 of 2013)";

(2) in regulation 5,-

(a) in proviso to sub-regulation (4), after the words "period provided in", the following shall be inserted, namely:-

"sub-section (2A) of section 6 of the Act,";

(b) in proviso to sub-regulation (6), after the words "period provided in", the following shall be inserted, namely:-

"sub-section (2A) of section 6 of the Act,";

(c) in sub-regulation (7),

(i) in clause (c), the words and figures "registered under the Companies Act, 1956" shall be omitted;

(ii) in clause (d), the words, brackets and figures "or a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)" shall be omitted;

(3) in regulation 9, in proviso to sub-regulation (2), after the words "period provided in", the following shall be inserted, namely:-

"sub-section (2A) of section 6 of the Act,";

(4) in regulation 14,-

(a) in sub-regulation (2A),-

(i) for the words "seven days", the following words shall be substituted, namely:-

"seven working days";

(ii) in the second proviso, after the words "period specified in", the following shall be inserted, namely:-

"sub-section (2A) of section 6 of the Act,";

(b) in the proviso to sub-regulation (5), after the words "period provided in", the following shall be inserted, namely:-

"sub-section (2A) of section 6 of the Act,";

(5) in regulation 16, in sub-regulation (5), for the word "seven days", the following words shall be substituted, namely:-

"seven working days";

(6) after regulation 16, the following regulation shall be inserted, namely:-

"16A. Withdrawal and refiling of notice.-

(1) At any time prior to the issuance of notice under sub-section (1) of section 29 of the Act, the Commission may on the request of the parties to the combination allow withdrawal and refiling of the notice given under regulation 5 or regulation 8 of these regulations.

(2) In case of withdrawal of notice under sub-regulation (1), the fee already paid in respect of such notice shall be adjusted against the fee payable in respect of new notice given by the parties to the combination provided the new notice is given within three months from the date of withdrawal.";

(7) in regulation 19, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Before the Commission forming an opinion under sub-section (1) of section 29 of the Act, the parties to the combination may offer modification to the combination and on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of section 31 of the Act:

Provided that where modification is offered by the parties to the combination, the additional time, not exceeding fifteen days, needed for evaluation of the offered modification, shall be excluded from the period provided in sub-regulation (1) of this regulation, sub-section (2A) of section 6 of the Act and sub-section (11) of section 31 of the Act.";

(8) in regulation 25, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(1A) Along with their response to the notice issued under sub-section (1) of section 29 of the Act, the parties to the combination may offer modification to address the *prima facie* concerns in the said notice and on that basis, the Commission may approve the proposed combination under sub-section (1) of section 31 of the Act:

Provided that in such a case, the additional time, not exceeding fifteen days, needed for evaluation of the modification offered, shall be excluded from the period provided in sub-section (2A) of section 6 of the Act, sub-section (2) of section 29 of the Act and sub-section (11) of section 31 of the Act.";

(9) in regulation 27, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) Where the Commission is of the opinion that the implementation of the modifications to the proposed combination needs supervision, it may appoint agencies to oversee such implementation, on such terms and conditions as may be determined by the Commission.".

SMITA JHINGRAN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./301/18]

Note: Principal Regulations were published vide Notification No. F. No. 1-1/ Combination Regulations/2011-12/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th May, 2011 and were subsequently amended by,—

(a) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2012, published vide F. No. 3-1/Amend/Comb.Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd February, 2012;

(b) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2013, published vide F. No. 3-1/Amend/Comb.Regl./2012/CD/CCI in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 4th April, 2013;

(c) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2014, published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 28th March, 2014;

(d) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015, published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 01st July, 2015; and

(e) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016, published vide F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 07th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.09 23:03:06 +05'30'